वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि 14 जुलाई, 2014 तक निष्पादित और उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा कलक्टर (स्टाम्प) को निर्दिष्ट निम्नलिखित अरजिस्ट्रीकृत या अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित मध्यवर्ती लिखतों पर ब्याज और शास्ति का परिहार किया जायेगा, अर्थात्:-

(i) राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, अजमेर विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास, कृषि उपज मंडी और मंडी समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको), राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ द्वारा या राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकारी या उपक्रम द्वारा आवंटित या विक्रीत भूमि के संबंध में पूर्वोक्त प्राधिकारियों से पट्टा विलेख प्राप्त करने से पूर्व, निष्पादित अरजिस्ट्रीकृत या असम्यक् रूप से स्टाम्पित मध्यवर्ती लिखत; और

(ii) नगरीय स्थानीय निकायों से पट्टा विलेख प्राप्त करने से पूर्व आवासीय सहकारी सोसाइटियों द्वारा आवंटित या विक्रीत भूमि के संबंध में निष्पादित अरजिस्ट्रीकृत या असम्यक् रूप से स्टाम्पित मध्यवर्ती लिखत।

[एफ.4(3)वित्त/कर/2017-116]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

In exercise of the powers conferred by section 9-A of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the interest and penalty shall be remitted on the following unregistered or understamped intermediary instruments executed up to July 14, 2014 and referred to Collector (Stamps) by registering officer under the said Act, namely:-

(i) unregistered or understamped intermediary instruments executed in respect of land allotted or sold by Rajasthan Housing Board, Jaipur Development Authority, Jodhpur Development Authority, Ajmer Development Authority, Urban Improvement Trust, Krishi Upaj Mandi and Mandi Samittee, Gram Panchayat, Panchayat Samittee, Rajasthan Industrial Development & Investment Corporation (RIICO), Rajasthan State Cooperative Housing Federation or by any other authority or enterprises of the State Government, before getting lease deed from the aforesaid authorities.

(ii) unregistered or understamped intermediary instruments executed in respect of land allotted or sold by Housing co-operative societies, before getting the lease deed from the Urban Local Bodies.

[No.F.4(3)FD/Tax/2017-116]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government